

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 130 / 13

संस्थापन दिनांक:-15 / 05 / 13

फाईलिंग नं. 233504001302013

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश पिता नामदेव देशमुख,

उम्र 27 वर्ष, निवासी बाबरबोह,

थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.01.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 (ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.04.2013 को रात करीब 08:00 बजे ग्राम उमरिया से बाबरबोह रोड पर उमरिया के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस क. एम.पी.-48-एम.सी.-1974 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर धनराज की मोटर सायकिल में टक्कर मारकर उसमें बैठे जगदीश को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा धनराज की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2013 को थाना आमला में फरियादी जगदीश ने मर्ग क. 26/2013 इस आशय का दर्ज करवाया कि दिनांक 26.04.2013 को वह धनराज के साथ उसकी टीवीएस मोटर सायकिल में धनराज के पीछे बैठकर दोनों बाबरबोह जा रहे थे। करीब 8 बजे ग्राम उमरिया से थोड़ी दूरी पर बाबरबोह तरफ से एक व्यक्ति अपनी मोटर सायकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटर सायकिल को ठोस मार दी जिससे वे दोनों गिर गये। एकसीडेंट में धनराज को सिर, दाहिने पैर में चोट आयी तथा उसे दाहिने नाक, दाहिने पैर के घुटने के नीचे, चोट आयी।

3 फरियादी द्वारा दर्ज कराये गये मर्ग इंटीमेशन के आधार पर ग्राम बाबरबोह का अज्ञात मोटर सायकिल चालक के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 99/13 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएल-1974 को मय बीमा पॉलिसी, ड्रायविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस क्र. एम.पी.-48-एम.सी.-1974 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर धनराज की मोटर सायकिल में टक्कर मारकर उसमें बैठे जगदीश को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर धनराज की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर धनराज की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 जगदीश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह मृतक धनराज के साथ मोटर सायकिल से ग्राम उमरिया से बाबरबोह की ओर जा रहा था। सामने से एक मोटर सायकिल आयी जिसकी टक्कर लगने से उसे और धनराज को चोट आयी। बाद में धनराज की मृत्यु हो गयी। राजू (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि धनराज उसका छोटा भाई था। जब उसके भाई को घर लेकर आये और जब वह अपने भाई धनराज को लेकर अस्पताल गया तब डॉक्टर ने बताया कि धनराज की मृत्यु हो चुकी है।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 27.04.2013 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत जगदीश का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने पैर पर 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, चेहरे में दाहिनी तरफ खरोच के निशान एवं आहत की छाती एवं पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने आहत जगदीश के संबंध में उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) को प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह भी प्रकट किया है कि उक्त दिनांक को ही मृतक धनराज के शव का परीक्षण किया था। शव परीक्षण के दौरान मृतक के चेहरे के दाहिनी तरफ गहरा फटा हुआ घाव जिसकी दोनों हड्डियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, मृतक के सिर के दाहिनी तरफ 5 गुणा 3 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, हड्डी टूटी पाया था एवं मृतक के दाहिने पैर पर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव था, दाहिने पैर एवं हाथों में खरोच के निशान पाये थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक को पायी गयी सभी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी गयी थी जो कि मृत्यु पूर्व की थी तथा मृतक धनराज की मृत्यु सिर एवं चेहरे में चोट लगने से कोमा में होने के कारण हुई थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी एवं साक्षी जगदीश (अ.सा.-1) एवं राजू (अ.सा.-3) के कथनों से मृतक धनराज की मृत्यु एक्सीडेंट में होना एवं जगदीश को चोटें आना प्रमाणित पाया जाता है।

9 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.-7) ने दिनांक 27.04.2013 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 99/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी जगदीश की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-5), मृतक धनराज का प्रदर्श पी-10 का पीएम फार्म भरवाकर आमला अस्पताल भिजवाया जाना, मृतक की लाश का पंचायतनामा (प्रदर्श पी-3) एवं नक्शा मौका पंचायतनामा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया जाना तथा दिनांक 29.04.2013 को अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएल-1974 को मय बीमा, ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर (प्रदर्श पी-6) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-11)

का गिरफ्तारी तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

10 सुखराम पवार (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 29.04.2013 को थाना मुलताई में चालक आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने थाना आमला के अपराध क्र. 33/13 में जप्तशुदा हीरोहोंडा मोटर सायकिल का परीक्षण किया था। परीक्षण पर वाहन का हेंडल, क्लच टीक हालत में पाये थे एवं दाहिना ब्रेक लीवर टूटा पाया था एवं हेंडलाईट बीम्ब टूटा पाया था एवं वाहन के दाहिने साईड का इंडीकेटर टूटा पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) को प्रमाणित किया है।

11 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को मोटर सायकिल अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश चला रहा था और क्या अभियुक्त के द्वारा मोटर सायकिल उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मृतक एवं आहत की मोटर सायकिल में टक्कर मारी गयी ?

12 प्रकरण में साक्षी सुरेश (अ.सा.-5) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने अभियुक्त को पहचानने से भी इनकार किया है। यद्यपि साक्षी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर होना बताया है। प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न अभियोजन अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। इस तरह से उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 प्रकरण में एक अन्य साक्षी चंदू (अ.सा.-2) जो कि चक्षुदर्शी साक्षी है, उसने न्यायालय में यह कथन किये हैं कि घटना उसके घर के पास उमरिया की है। उसका मकान खेत पर है। वह घटना के समय भोजन कर रहा था। अचानक गाड़ी टकराने की आवाज आयी तो उसने बाहर निकलकर देखा तो दो गाड़ी रोड पर पड़ी हुई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि बाबरबोह से अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमसी-1974 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर जगदीश, धनराज की मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना होते नहीं देखी। किसकी गलती से दुर्घटना हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त साक्षी से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। प्रकरण में साक्षी राजू (अ.सा.-3) मृतक धनराज का भाई है परंतु यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है तथा घटना के समय साक्षी ने घर पर होना बताया है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि उसे घटना हो जाने के बाद यह पता चला था कि अभियुक्त मोटू ने मोटर

सायकिल से एक्सीडेंट किया था और उसके साथ दो लोग और बैठे हुए थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे रास्ते में पता चला था कि अभियुक्त मोटू ने मोटर सायकिल तो तेजी एवं लापरवाही से चलाकर धनराज की मोटर सायकिल को टक्कर मार दी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी। घटना के समय वाहन कौन चला हरा था उसने नहीं देखा। वाहन कैसे चल रहा था, घटना कैसे हुई थी इसके बारे में भी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस को बयान देते समय उसने घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम और वाहन का नंबर भी नहीं बताया था। कैसे लेख है वह इसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी जो कि अनुश्रुत साक्षी है एवं साथ ही अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। अतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 अभिलेख पर मात्र आहत जगदीश (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है एवं आहत जगदीश आहत होने के नाते घटना का सर्वोत्तम साक्षी है। फलतः उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह देखा जाना है कि अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है अथवा नहीं ?

15 जगदीश (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने मामा मृतक धनराज के साथ मोटर सायकिल से ग्राम उमरिया से बाबरबोह की ओर जा रहा था। मृतक धनराज मोटर सायकिल को चला रहा था और वह पीछे बैठा हुआ था। सामने से एक मोटर सायकिल जिस पर तीन लोग बैठे हुए थे, उस मोटर सायकिल के चालक ने उसकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली मोटर सायकिल को कौन चला रहा था वह नहीं देख पाया था। टक्कर लगने से वह और धनराज गिर गये। धनराज को ज्यादा चोटें आयी थी और टक्कर मारने वाली मोटर सायकिल में बैठे लोगों को भी चोटें आयी थी। मौके पर जीप आ गयी थी और उसी जीप से वे अस्पताल आये थे। जहां पर डॉक्टरों ने धनराज को मृत घोषित कर दिया था। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी थी। सामने से आ रही मोटर सायकिल वालों की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। वह नहीं बता सकता कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त घटना दिनांक को मोटर सायकिल चला रहा था। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश ने मोटर सायकिल क. एमपी-48-एमसी-1974 को तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि उसने रिपोर्ट लेख कराते समय और मर्ग

इंटीमेशन में भी यह बताया था कि बाबरबोह का मोटर सायकिल चालक जिसका नाम उसे मालूम नहीं है, मोटर सायकिल को तेजी और लापरवाही से चलाकर मृतक धनराज की मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय दोनों पक्ष अपने-अपने साईड से मोटर सायकिल अच्छे से चलाकर आ रहे थे। अभियुक्त को उसने वाहन चलाते हुए और टक्कर मारते हुए नहीं देखा था। लाईट न होने की वजह से वह नहीं देख पाया था कि वाहन को कौन चला रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने दुर्घटना कारित करने वाले चालक का नाम नहीं बताया था।

16 प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमसी-1974 को चला रहा था। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश ने उक्त मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया था। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अज्ञात मोटर सायकिल के चालक के नाम से रिपोर्ट लेख करायी गयी है। साथ ही मोटर सायकिल का नंबर भी लेख नहीं कराया गया है। साथ ही स्वयं आहत जगदीश ने अपने कथनों में यह बताया है कि जिस मोटर सायकिल से टक्कर हुई थी उस मोटर सायकिल में अभियुक्त के अलावा दो अन्य लोग भी बैठे हुए थे। तब ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक को अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश ही मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमसी-1974 को चला रहा था। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस क्र. एम. पी.-48-एम.सी.-1974 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं धनराज की मोटर सायकिल में टक्कर मारकर उसमें बैठे जगदीश को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा धनराज की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त मोटू उर्फ चंद्रप्रकाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304(ए) भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएल-1974 मय जप्तशुदा दस्तावेज के सुपुर्ददार चंद्रप्रकाश पिता नामदेव, निवासी बाबरबोही, थाना बोरदेही, जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

20 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)